ग्रामीण विकास युवा संस्थान, सैंथल (दौसा)

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2010--2011

(51)

ग्रामीण विकास युवा संस्थान रजि. संख्या 47/सवदो/1996-97 जिला-दौसा (राज.)

1. **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :–**

(क) **स्वयं सहायता समुहों का गठन एवं निर्माण :–** स्वयं सहायता समुहों के माध्यम से बी.पी.एल परिवारों को बैंको से ऋण दिलवाकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत सरकार की सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास युवा संस्थान का चयन जयपुर जिले की जमवारामगढ पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको स्वजरोजगार के जरिये आत्म निर्भर बनाने हेतु 26 नवम्बर, 2009 को कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्थान द्वारा वर्ष 2010–11 अन्तर्गत 1 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक कुल 35 स्वयं सहायता समुह बनाकर 373 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया। स्वयं सहायता समूहो की मासिक बैठकों का आयोजन, बचत राशि, लेखा संधारण, बैक लिंकेज, नियमित किया जा रहा है। गतिविधिं का चयन कर कौशल विकास प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिसमें से 14 स्वयं सहायता समुहो की प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड़िग कराकर समुहों को बैंको से भैस पालन एवं गलीचा उधोग, नगीना कटींग, टेलरिंग कटिग एवं बुनाई, आरीतारी (जरी कढाई), बर्तन उधोग, गतिविधियों के लिए ऋण दिलाकर व्यवसाय शुरू करा दिया गया। शेष 21 स्वयं सहायता समुहो में से 11 स्वयं सहायता समुहों की प्रथम ग्रेडिग कराकर रिवोल्विग फण्ड दिलाया गया है। और 10 स्वयं सहायता समुहों की ग्रेड़िग की जानी बाकी है। जयपुर जिले की पंचायत समिति झोटवाडा में 16 ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको स्वजरोजगार के जरिये आत्म निर्भर बनाने हेतु 5 अगस्त, 2010 से कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिसमें वर्ष 2010--11 अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 तक कुल 15 स्वयं सहायता समुहों का गठन किया गया। जिसमें से 5 स्वयं सहायता समुहो की प्रथम एवं द्वितीय ग्रेडिग कराकर 53 बी.पी.एल. परिवारों को भैंस पालन कर बैंको से ऋण दिलवाकर लाभान्वित किया गया। और 4 स्वयं सहायता समूहो की प्रथम ग्रेड़िग कराकर रिवोल्विग फण्ड दिलवाया गया है। शेष 6 स्वयं सहायता समुहों की प्रथम ग्रेडिग कि जानी है। ग्रेडिग के उपरान्त बैंकों से ऋण दिलाकर विभिन्न गतिविधिवार व्यवसाय शुरू कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) **स्वयं सहायता समुहों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण :–** स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत संस्थान द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति झोटवाडा में संस्थान द्वारा गठित 9 स्वयं सहायता समुहों को एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 16.03.2011 को ग्राम पंचायत भवन कालवाड में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 9 समुहों के 93 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वयं सहायता समुहों के गठन का उददेश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही समुह संचालन हेतु मासिक बैठकों एवं बचत राशि, दस्तावेजों का रख रखाव एवं जानकारी और समुह में ऋण का लेन देन, आदर्श समुह के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की, तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 14 स्वयं सहायता समुहों को एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 21.03.2011 को जयसवाल धर्मशाला देवीतला, रायसर में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 14 समुहों के 152 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वयं सहायता समुहों के गठन का उददेश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की साथ ही समुह संचालन हेतु मासिक बैठकों एवं बचत राशि, दस्तावेजों का रख रखाव एवं जानकारी और समुह में ऋण का लेन देन, आदर्श समुह के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की

SECRETARY
Gramin Vikas Yuwa Sansthan
Dausa (Raj.) India

(ग) **स्वयं सहायता समुहों का कौशल विकास प्रशिक्षण :–** स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत संस्थान द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति झोटवाडा में संस्थान द्वारा गठित स्वयं सहायता समुहों को पांच दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिनांक 24.03.2011 से 28.03.2011 तक ग्राम पंचायत भवन कालवाड में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 5 समुहों के 53 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समुहों के सदस्यों को भैंस पालन से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। जिसमें भैंसों का रख रखाव की जानकारी के साथ भैंसो के नस्ल सुधार सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी, भैंसों में होने वाले रोगों के उपचार की जानकारी, दुध बढाने वाले पोषहारों की जानकारी, दुध डेयरी की जानकारी, तथा जयपुर जिलें की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 6 स्वयं सहायता समुहों को पांच दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिनांक 24.03.2011 से 28.03.2011 तक जयसवाल धर्मशाला देवीतला, रायसर में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 6 समुहों के 66 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समुहों के सदस्यों को भैंस पालन से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। जिसमें भैंसों का रख रखाव की जानकारी के साथ भैंसो के नस्ल सुधार सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी, भैंसों में होने वाले रोगों के उपचार की जानकारी, दुध बढाने वाले पोषहारों की जानकारी, दुध डेयरी की जानकारी, और पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 8 स्वयं सहायता समुहों को दस दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिनांक 22.03.2011 से 31.03.2011 तक जयसवाल धर्मशाला देवीतला, रायसर में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 8 समुहों के 86 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में माइक्रों गतिविधियां बर्तन उधोग, आरीतारी (जरी कढाई), गलीचा उधोग, टेलरिंग कटीग (सिलाई उधोग) के व्यवसाय सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। जिसमें कच्चे माल का आयात एवं तैयार माल का निर्यात करने सम्बन्धित जानकारी दी गई। उपकरणों का रख रखाव और उत्पादन करने सम्बन्धित जानकारियां देकर सम्बन्धित ट्रेड में दक्षता एवं क्षमता विकास का प्रशिक्षण कराया गया।

2. लोक संस्कृति एवं युवा विकास कार्यक्रम :–

(क) **ब्लॉक स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मन्त्रालय की स्वायतशासी संस्था नेहरू युवा केन्द्र दौसा के सहयोग से ग्राम चौरडी जिला दौसा में दिनांक 25 नवम्बर 2010 को ब्लॉक स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 15 ग्रामों से आये स्थानीय लोक कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गीत, संगीत, स्थानीय नृत्यकालबेलियां नृत्य, चरी नृत्य, मयुर नृत्य, घुमर नृत्य, गिलासों पर नृत्य, फारीक नृत्य, कच्ची घोडी नृत्य, विभिन्न गीतों की धुन पर प्रस्तुत किया गया। जिसमें विजेता कलाकारों एवं टीमों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम :–

(क) **मेटों का कौशल विकास प्रशिक्षण :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा पंचायत समिति दौसा के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति दौसा की सभी 52 ग्राम पंचायतों में दस–दस चयनित मेटो को चार–चार दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 06 अगस्त, 2010 से 29 अगस्त, 2010 तक अग्रसेन धर्मशाला, रेल्वे फाटक के पास दौसा में पांच बैचो में सम्पन्न करा गया। जिसमें प्रथम बैच में 97 मेट, द्वितीय बैच में 99 मेट, तृतीय बैच में 82 मेंट, चतुर्थ बैंच में 93 मेंट, पंचम बैंच में 103 मेंटों ने सफलतापुर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर नरेगा योजना की जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रकार कुल 474 मेंटों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। पंचायत समिति महुवा के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति महुवा की सभी 42 ग्राम पंचायतों

SECRETARY
Gramin Vikas Yuva Sansthan

2010 से 08 अगस्त, 2010 तक राधे रानी गार्डन, जयपुर रोड महुवा में तीन बैचों में सम्पन्न करा गया। जिसमें प्रथम बैच में 126 मेट, द्वितीय बैच में 120 मेट, तृतीय बैच में 137 सफलतापुर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर नरेगा योजना की जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रकार कुल 383 मेंटों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम के बारे विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। पंचायत समिति सिकराय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति सिकराय की सभी 52 ग्राम पंचायतों में दस–दस चयनित मेटो को चार–चार दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 10 सितम्बर, 2010 से 29 सितम्बर, 2010 तक अग्रवाल धर्मशाला, सिकराय में चार बैचो में सम्पन्न करा गया। जिसमें प्रथम बैच में 41 मेट, द्वितीय बैच में 35 मेट, तृतीय बैच में 51 मेंट, चतुर्थ बैंच में 52 मेंटों ने सफलतापुर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर नरेगा योजना की जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रकार कुल 179 मेंटों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई।

(ख) **सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों का प्रशिक्षण** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा पंचायत समिति दौसा के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति दौसा की सभी 52 ग्राम पंचायतों में सात–सात चयनित सदस्यों को पांच–पांच दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 14 जुन, 2010 से 28 जुन, 2010 तक सभागार भवन, पंचायत समिति दौसा में पांच बैचो में सम्पन्न करा गया। जिसमें प्रथम बैच में 114 सदस्य, द्वितीय बैच में 128 सदस्य, तृतीय बैच में 123 सदस्यों ने सफलतापुर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर नरेगा योजना की जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार कुल 365 सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। और महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत् बिल वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों के निरिक्षण एवं तैयार परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन करने सम्बन्धित अधिकारों एवं नियमों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ग्राम सभा द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया।

4. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010–11 :–

(क) **जैव विविधता संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से कट्स संस्थान, जयपुर के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010–11 अन्तर्गत संस्थान द्वारा जागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 21 मार्च 2011 को अग्रसेन धर्मशाला, रेल्वे फाटक के पास दौसा में जैंव विविधता संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 50 किसान, मजदुर, व्यापारी, समाजसेवक, महिलाओं एवं युवाओं ने भाग लेकर जैंव विविधता संरक्षण पर चर्चा की एवं विशेषज्ञो द्वारा जैंव विविधता संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

(ख) **बीज बैंक की शुरूवात एवं स्थापना** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से कट्स संस्थान, जयपुर के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010–11 अन्तर्गत संस्थान द्वारा भौतिक कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च 2011 को जैन भवन, ग्राम सैथल, जिला दौसा में जैंव विविधता संरक्षण हेतु एक बीज बैंक की स्थापना की गई। जिसमें स्थानीय औषधिया सफेद मुसली, सतावरी, मुलेठी, गुगल, कौंच, गुडसर, ग्वार पाडा, तुलसी, सोना मुखी, अश्व गंधा, आंवला, निंबू, ईसबगोल, नीम, पीपल, खेजडी, बबुल, आम, बरगद, गुलर, के बीजों को सुरक्षित रखने हेतु बीज बैंक की स्थापना की गई।

SECRETARY
Gramin Vikas Yuva Sansthan
Dausa

5. जल, जंगल, जमीन संरक्षण कार्यक्रम :—

(क) **चरागाह विकास कार्यक्रम** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा जल, [illegible] संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति दौसा के ग्राम बिशनपुरा में 13 जुलाई 2010 को ग्रामीणों के सहयोग से 32 हैक्टीयर चरागाह में चारा उत्पादन करने के [illegible] गई। और 1500 छायादार पौधे लगाये गये। इनकी पौधो की सुरक्षा हेतु वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। और घास एवं पेडों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम वन सुरक्षा समिति बिशनपुरा को सौंपी गई।

6. कृषि एवं पशु पालन विकास कार्यक्रम :—

(क) **रासायनिक विधि से खरपतवार नियन्त्रण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा एवं कृषि बिस्तार विभाग दौसा के तत्वाधान में ग्राम बापी में दिनांक 13 मार्च 2011 से 15 मार्च 2011 तक ग्राम सैंथल में दिनांक 17 मार्च 2011 से 19 मार्च 2011 तक कुल 64 महिला कृषकों को रासायनिक विधि से खरपतवार नियन्त्रण प्रबन्धन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया गया।

(ख) **कृषि/उधान समुह निर्माण एवं प्रशिक्षण** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा एवं कृषि विस्तार विभाग दौसा के तत्वाधान में ग्राम बिशनपुरा में दिनांक 21 मार्च 2011 से 22 मार्च 2011 तक एवं ग्राम काबलेश्वर में दिनांक 23 मार्च 2011 से 24 मार्च 2011 तक तथा ग्राम तीतरवाडा खुर्द में दिनांक 25 मार्च 2011 से 26 मार्च 2011 तक और ग्राम बिनावाला में दिनांक 27 मार्च 2011 से 28 मार्च 2011 तक, आयोजित किये गये। जिसमें कुल 4 ग्राम पचायतों में 8 कृषक समुहों का निर्माण किया गया। और कुल 83 कृषको ने कृषि/उधान की आधुनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण में किसानों को कृषि विकास में समुहों की भागीदारी के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) **किसान गोष्ठी एवं खेत दिवस कार्यक्रम** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा एवं कृषि विस्तार विभाग दौसा के तत्वाधान में ग्राम सैंथल में दिनांक 26 मार्च 2011 एवं ग्राम पीलवा में दिनांक 27 मार्च 2011 को आयोजित किया गया। जिसमें ग्राम सैंथल में 89 किसानों ने एवं ग्राम पीलवा में 82 किसानों ने भाग लिया। 2 ग्राम पंचायतों से कुल 171 महिला एवं पुरूष कृषकों को किसान गोष्ठी में आधुनिक तकनीकी से कृषि करने के तरीको एवं खेत दिवस के बारे में जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई।

(घ) **सीड मनी एवं प्रदर्शन का आयोजन** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा एवं कृषि विस्तार विभाग दौसा के तत्वाधान में ग्राम बिशनपुरा के 2 किसान स्वयं सहायता समुहों के 20 सदस्यों को सीड क्रय कर प्रदर्शन करने हेतु अनुदान दिया गया। उक्त सभी किसानों, के खेतों की मिटटी का परीक्षण प्रयोगशाला में कराकर परीक्षण रिर्पोट के आधार पर कृषकों को सब्जी एवं कृषि हेतु आवश्यक हाई ब्रीड बीज एवं रासायनिक खाद क्रय विक्रय सहकारी समिति दौसा से क्रय कराया गया। जिसमें प्रति किसान को एक हजार रूपये का अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया गया। उक्त किसानों को अपने खेतों में आधुनिक गतिविधि से खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

7. **वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन कार्यक्रम** :— ग्रामीण विकास युवा संस्थान द्वारा दौसा जिले में पिछलें वर्षो से जैविक खेती को बढावा देने के लिये वर्ष 2010—11 अन्तर्गत दिनांक 05 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक ग्राम सिण्डोली, बडोली, रामबॉस कुडल, [illegible] भॉखरी, निगाली के किसानों को जैविक खेती के लिये वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग फसल में करवाया जा रहा है। जिसके लिये संस्थान ने वर्मी कम्पोस्ट खाद [illegible] लगा रखा है

SECRETARY
Gramin Vikas Yuva Sansthan

है। धीरे–धीरे किसानों का रासायनिक खाद से वर्मी कम्पोस्ट खाद की ओर रूझान बढ़ा है। और किसान भी अब जैविक खेती को बढावा देने के लिये अपने घरों में कम्पोस्ट खाद उत्पादन के लिये छोटे–छोटे प्लांट लगा रहे हैं।

8. **महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम :–**

(क) **घरेलू हिन्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से दौसा जिले में घरेलू हन्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पीडित महिलाओं को कानूनी जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के लिये ग्राम सैथल एवं दौसा जिला–मुख्यालय पर एक–एक महिला परामर्श केन्द्र दिनांक 1 अप्रैल 2009 से प्रारम्भ किया गया। जिसमें एक–एक महिला परामर्शदाता केन्द्रों के संचालन हेतु रखी गयी है। जो पीडित महिलाओं को कानूनी जानकारी के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करती है। जिसमें कानूनी विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकारों की जानकारी के साथ पुलिस एवं कोर्ट के जरिये अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की विभिन्न कानूनी सलाह दी जाती है ।

(ख) **ज्वैलरी मैंकिग एवं डिजाईनिंग प्रशिक्षण :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के सहयोग से स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत 30 गरीब, विधवा, तलाकशुदा, परित्यागिता, महिलाओं को ज्वैलरी मेकिग एवं डिजाईनिंग व्यवसाय के माध्यम से रोजगार देने के लिए त्रैमासिक ज्वैलरी मैंकिग एवं डिजाईनिंग कौशल विकास प्रशिक्षण का ग्राम सैथल में दिनांक 25 मार्च 2010 से 24 जुन 2010 तक सम्पन्न कराया गया। जिसमें 30 गरीब, विधवा, तलाक शुदा, परित्यागिता, महिलाऐ प्रतिदिन भाग लेकर ज्वैलरी मेंकिग एवं डिजाईनिग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। प्रशिक्षण के उपरान्त उक्त महिलाओं को स्वय सहायता समुहों के जरीये बैकों के माध्यम से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार से जोड़ा गया। प्रशिक्षण के उपरान्त सभी महिलाओं ने अपने–अपने घरों पर ज्वैलरी तैयार कर बाजार में निर्यात कर प्रति माह तीन से चार हजार रूपये आमदनी कर रही है।

10. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम :–**

(क) **स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहित कार्यक्रम :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान द्वारा कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंथल के तत्वाधान में ग्राम सैंथल में 25 नवम्बर 2011 को स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहित कार्यक्रम अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 45 युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में युवाओं को जानकारी देकर स्वैच्छिकरक्तदान करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। उसके बाद कार्यशाला में उपस्थित सभी युवाओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने हेतु संस्थान को आवेदन दिया गया।

12. **सम्पुर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–**

(क) **जागरूकता एवं शौचालय निर्माण कार्यक्रम :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा जिला परिषद दौसा के तत्वाधान में पंचायत समिति सिकराय की 10 ग्राम पंचायत सिकन्दरा, फर्राशपुरा, दुब्बी, कैलाई, राणोली, लांका, जयसिंहपुरा, गांगदवाडी, गण्डरावा, बहरावण्डा, में सम्पुर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 01 अगस्त 2010 से 31 मार्च 2011 तक बी.पी.एल. परिवारों के कुल 135 शौचालयों का निर्माण कराया गया। कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सभी ग्राम पंचायतों में नारे–लेखन एवं वॉल पेंटिग कराकर स्वच्छता की जानकारी प्रदान की गई। तथा कार्यक्षेत्र के सभी सरपंचों, पंचों, ऑगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, ए.एन.एम. इत्यादि को प्रशिक्षण देकर स्वच्छता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम अन्तर्गत कठपुतली कार्यक्रमों ...

... माध्यम के माध्यम से भी स्वच्छता का संदेश दिया गया। एवं रैली एवं ग्राम सभाओं माध्यम से भी स्वच्छता की जानकारी आमजन तक पहुचाने के लिए संस्थान कार्यरत है।

15. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण** :– संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, बेरोजगार 40 युवा प्रतिभागियों को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी प्रदान करने के लिये त्रैमासिक प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम सैंथल में 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक किया गया। जिसमें कम्प्यूटर उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गई। एवं एम.एस.डॉस, एम.एस.वर्ड, एक्सल, इन्टरनेट आदि की साधारण जानकारी दी गई।

उपरोक्त कार्यक्रमों पर आधारित आपका संस्थान प्रयासरत है। संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में आपका सहयोग, सुझाव, मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

भवदीय

(पी. एम. मीना)
सचिव

SECRETARY

Gramin Vikas Yuva Sansthan